हरिराम बनाम भूमिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज हाल मु.नं. – 4/2021	नम्बर अहकाम हुक्म जारी
25-8-21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने साक्ष्य वादी के गवाह में भैरूराम पुत्र सोनाराम जाट नि॰ खरकड़ा का लिखित शुदा शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर
25/08/21
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.02 13:20:58 IST
Reason: SelfAttested

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)</u>

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
04/2021	2021/04	05.01.2021	25.08.2021

उनवान प्रकरण

1. हरिराम पुत्र अर्जूनलाल उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

प्रतिवादी

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा एड0 – वादी की ओर से
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– प्रतिवादी की ओर से

<u>वाद पत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद पत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 1, 2, 3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 हैक्टर के 1/4 हिस्सा की खातेदारी हरिशंकर पुत्र अर्जूनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। वरवक्त विकय लेख में वादी का नाम सहवन से हरिराम के बजाय हरिशंकर दर्ज कर दिया गया है। वादी का सही नाम हरिशंकर नहीं होकर हरिराम है जो सही व शुद्ध है। खटकड़ की भूमि खतौनी सख्या 213, 282 में वादी का सही नाम हरिराम दर्ज रिकार्ड है। वादी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी। दिसम्बर 2020 में वादी ने किसान कार्ड बनाने [illegible] करने पर उक्त गलती का पता चला। जिस पर पटवारी ने किसान कार्ड बनाने [illegible] शुद्धि कराने हेतु कहे जाने पर न्यायालय में वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। [illegible] खातेदारी में हरिराम के स्थान पर हरिशंकर घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने [illegible] निवेदन वादी वकील द्वारा अपने वादपत्र में करते हुए वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.02 13:20:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी साक्ष्य में प्रस्तुत मुख्य परीक्षण शपथ पत्र हरिराम व साक्ष्य गवाह में भैरूंराम पुत्र सोनाराम ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में वादी का नाम दुरूस्त किये जाने बाबत शपथ पत्र पेश किया है।

हमने वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नंबर 1, 2, 3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 हैक्टर के 1/4 हिस्सा की खातेदारी हरिशंकर पुत्र अर्जूनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा विक्रय लेख दिनांक 29.07.1988 में वादी का नाम सहवन से हरिराम के बजाय हरिशंकर दर्ज कर दिया जाना प्रकट होता है। जबकि वादी का सही नाम हरिशंकर नहीं होकर हरिराम है जो सही व शुद्ध है। जो ग्राम खटकड़ की भूमि खतौनी सख्या 213, 282 में वादी का नाम हरिराम दर्ज रिकार्ड सही होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसकी साक्ष्य वादी में पेश शपथ पत्रों से भी पुष्टि होती है तथा वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दुरूस्त कर हरिशंकर पुत्र अर्जूनलाल के स्थान पर हरिराम पुत्र अर्जूनलाल सही दर्ज करना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र को न्यायहित में डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1, 2, 3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 हैक्टर के 1/4 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज हरिशंकर पुत्र अर्जूनलाल के स्थान पर हरिराम पुत्र अर्जूनलाल दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.02 13:20:58 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)